निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

आरईसी लिमिटेड (कंपनी) आधी से अधिक शताब्दी के समय से देश और इसके विद्युत क्षेत्र की सेवा में कार्यरत है। एक संगठन के रूप में इसकी दृढ़ता और प्रदर्शन, सटीक निगमित सुशासन, प्रभावी हितधारक भागीदारी और विकास के प्रति दीर्घकालिक अनुकूलन के कारण संभव हो पाया है। आरईसी का प्रबंधन पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता के माध्यम से कानून के नियम और नैतिक आचरण के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी में निगमित सुशासन फ्रेमवर्क में न केवल प्रभावी और कुशल प्रबंधन, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के परिवर्तन और हितलाभों के प्रबंधन की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

आरईसी अपने सभी हितधारकों, चाहे वह शेयरधारक हों, अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारक, ग्राहक, वेंडर, कर्मचारी, समुदाय और बड़े पैमाने पर जनता के लिए संतुलित तरीके से मूल्यवर्धन करना जारी रखता है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देश, 2010 ("निगमित सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("सचिव–विषयक मानक") द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों के तहत यथानिर्धारित निगमित सुशासन संबंधी सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, जो इसके दायरे में आती हैं, को पूरा करता है। आरईसी, सेबी एलओडीआर विनियमों की अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके बाद कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन पर एक प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा है।

1. निगमित सुशासन पर कंपनी का सिद्धांत

आरईसी में निगमित सुशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के भीतर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए नैतिक और जिम्मेदार रीति में कारोबार का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी, पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी में उचित, पारदर्शी और नैतिक सुशासन परिपाटियों की एक अतिप्रभावी परम्परा मौजूद है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सततता और समुचित एवं समयबद्ध प्रकटीकरण आदि के मूलभूत सिद्धांत कंपनी की निगमित सुशासन की धारणा को पूर्ण रूप से लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्तनशील कारोबारिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का निगमित सुशासन फ्रेमवर्क निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करना।

उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यों के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने आरबीआई के मानदंडों के अनुसार अपने "निगमित सुशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देश" तैयार किए हैं, जिनमें कंपनी में अपनाए जाने वाले निगमित सुशासन सिद्धांत, संरचना और फ्रेमवर्क को संहिताबद्ध किया गया है। निगमित सुशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देश https://recindia.nic.in/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf पर उपलब्ध हैं।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसी के निदेशक मण्डल में 7 (सात) निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी); निदेशक (वित्त); प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से एक सरकार द्वारा नामित निदेशक; पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा नामित निदेशक, जो कंपनी की अधिकांश इक्विटी का धारक है; और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 3 (तीन) अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक (तकनीकी) के पद पर 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार रिक्त था, तथापि, 15 जुलाई, 2022 से, आरईसी में निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से इनका उपयोग कर रहे हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के दौरान, बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की कमी के कारण, निदेशक मण्डल की संरचना और बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और निगमित सुशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध करती रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी में 1 (एक) महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई; और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड की विभिन्न समितियों का पुनर्गठन भी किया गया था।

शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन है। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, कंपनी में लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन हो जाएगा।

आरईसी के सभी निदेशक कंपनी के कारोबार को एक कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशक सामूहिक रूप से कंपनी के कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यनीतिक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिश पर अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड की विविधता और कौशल पर एक नीति अंगीकार की है, जिसे आरईसी में निदेशकों के नामांकन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के मामलों में उपयुक्त विचारण के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के मास्टर निदेशों के अनुसार और एनआरसी की सिफारिश पर, बोर्ड ने 4 फरवरी, 2022 से "निदेशकों के 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर नीति" को भी अंगीकार किया है, जिसमें योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और अन्य 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों के आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्ति या निरंतरता के लिए व्यक्तियों की सम्यक तत्परता के लिए आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नीति में यथापरिभाषित 'उपयुक्त और उचित' मानदंड का अनुपालन निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के समय के साथ ही वार्षिक आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf पर उपलब्ध है।

(क) बोर्ड की संरचना

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान हुए परिवर्तनों सहित 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार बोर्ड की संरचना के ब्यौरे और अन्य प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध एंटिटी, निदेशक पद की श्रेणी में धारित निदेशक पद	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या[क]	
						अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)							
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे	05254178	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *(22 फरवरी– 2022 से)*[ख]	1	-	-	-
2	श्री अजय चौधरी	06629871	निदेशक (वित्त)	1	-	-	-
अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)							
3	श्री विशाल कपूर	08700132	सरकार द्वारा नामित निदेशक *(7 सितंबर– 2021 से)*	1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड[ग] (नामित निदेशक)	-	-
4	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक *(4 फरवरी– 2022 से)*	8	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्णकालिक निदेशक) पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामित निदेशक)	शून्य	1[घ]
5	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	स्वतंत्र निदेशक *(15 नवंबर–2021 से)*	-	-	-	-
6	डॉ मनोज मनोहर पांडे	09388430	स्वतंत्र निदेशक *(15 नवंबर– 2021 से)*	-	-	-	-
7	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	09398540	स्वतंत्र निदेशक *(30 दिसंबर–2021 से)*	-	-	-	-

क. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक ऐसी समितियों का सदस्य नहीं है और न ही ऐसी 5 (पांच) से अधिक समितियों के अध्यक्ष है।

ख. श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे 10 मई, 2022 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं है।

ग. श्री विशाल कपूर 30 मई, 2022 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक नहीं है।

घ. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी की हितधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्य हैं।

(ख) बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

1. श्री विशाल कपूर (डीआईएन 08700132), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को 7 सितंबर, 2021 से श्री तन्मय कुमार (डीआईएन 02574098), भूतपूर्व सरकार द्वारा नामित निदेशक के स्थान पर विद्युत मंत्रालय के समदिनांकित कार्यालय आदेश के अनुसार आरईसी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन 03464342), भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक हैं।

   विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के आदेश के अनुसार, श्री संजय मल्होत्रा (डीआईएन 00992744), भूतपूर्व सीएमडी को तीन माह (1 नवंबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022) की अवधि के लिए निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय के 15 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसार, श्री अजय चौधरी (डीआईएन 06629871), निदेशक (वित्त) को 1 फरवरी, 2022 से 14 जुलाई, 2022 की अवधि अर्थात् नियमित पदधारी की नियुक्ति तक निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार सौंपा गया।

3. डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन 02003319) और डॉ. मनोज मनोहर पांडे (डीआईएन 09388430) को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय के समदिनांकित कार्यालय आदेश (आदेशों) के अनुसार बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन 09398540) को बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से पारित संकल्प के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के 27 दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार 30 दिसंबर, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

5. श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएन 03548218), पीएफसी के भूतपूर्व नामित निदेशक, नामांकनकर्ता प्राधिकरण में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 फरवरी, 2022 से आरईसी के निदेशक नहीं हैं। इसके बाद, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन 08530587) को बोर्ड द्वारा पारित एक प्रस्ताव के साथ पठित 2 फरवरी, 2022 के विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसार 4 फरवरी, 2022 से पीएफसी के नामित निदेशक (अपर निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

   इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, शेयरधारकों ने 27 अप्रैल, 2022 को डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से एक साधारण संकल्प पारित करके पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

6. श्री संजय मल्होत्रा (डीआईएन 00992744), पूर्व सीएमडी, 11 फरवरी, 2022 से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक नहीं हैं।

7. विद्युत मंत्रालय 22 फरवरी, 2022 के अपने आदेश के तहत, श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन 05254178), अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय को 22 फरवरी, 2022 को तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

   सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, शेयरधारकों ने डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से 27 अप्रैल, 2022 को एक सामान्य संकल्प पारित करके श्री एसकेजी रहाटे की सीएमडी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके बाद, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति के कारण, श्री रहाटे 10 मई, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं हैं।

(ग) 31 मार्च, 2022 के बाद बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

8. विद्युत मंत्रालय ने 10 मई, 2022 के अपने आदेश के तहत, 10 मई, 2022 से तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक पीएफसी के सीएमडी, श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (डीआईएन 00278074) को सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। श्री ढिल्लों ने नियमित पदधारी श्री विवेक कुमार देवांगन की नियुक्ति तक सीएमडी, आरईसी का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

9. श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन 01377212) को विद्युत मंत्रालय के 18 मई, 2022 के आदेश के साथ पठित 13 मई, 2022 के एसीसी के पत्र, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिसे पद का कार्यभार ग्रहण किया जाता है, के अनुसार सीएमडी, आरईसी के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में पदस्थ हैं। श्री देवांगन ने 17 मई, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

10. विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसरण में श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन 02772733) को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30 जून, 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी है। श्री वी. के. सिंह ने 15 जुलाई, 2022 से निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण किया।

    इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, श्री वी. के. सिंह की नियुक्ति के लिए आगामी 53वीं एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(घ) बोर्ड और इसकी समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) बोर्ड की कार्यवाहियां

कंपनी, बोर्ड और इसकी समितियों द्वारा सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुसरण करती है। बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि सभी संबंधितों की पूर्ण उपस्थिति और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कार्यसूचियां (एजेंडा), संबंधित निदेशक की पसंद के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक पद्धति के माध्यम से, सांविधिक समय–सीमा के भीतर परिचालित की जाती हैं। कंपनी पेपरलेस पहुंच को सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित मंच के माध्यम से निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्यसूचियां भी अग्रेषित करती है। मूल्य संवेदनशील सूचना, लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, बैठक से पहले अलग से परिचालित की जाती है।

कारोबारिक आवश्यकताओं के अनुसार, कभी–कभी संकल्प, परिचालन द्वारा भी पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में नोट किया जाता है। किसी भी तत्काल कारोबारिक आवश्यकता को संबोधित करने के मामले में, नियत प्रक्रिया का पालन करके कभी–कभी अल्पावधि नोटिस पर बैठकें आमंत्रित की जाती हैं।

बोर्ड या समिति की बैठकों की कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल किए जाने पर एक स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है और इसका निर्धारण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। कार्यसूचियों में अनुमोदित किए जाने वाले संकल्पों के मसौदे सहित प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ–साथ एक मानक प्रारूप में कार्यपालक सार शामिल होता है।

बोर्ड और समितियों की बैठकें, आमतौर पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सक्रिय उपयोग के साथ, कार्यालय समय के दौरान गुरुग्राम में कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकों के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों को, यदि आवश्यक हो, भी प्रस्तुतिकरण देने या कार्यसूची की किसी मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। बैठक के बाद की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) के संबंध में एक अनुवर्ती कार्रवाई प्रणाली है, जिसमें बोर्ड या उसकी समितियों के पूर्व निर्णयों/विचार–विमर्शों पर की गई कार्रवाई को अनुवर्ती बैठकों में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों का अनुपालन करती है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मण्डल की कुल 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईः

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
28 मई– 2021	19 जुलाई– 2021	29 अक्टूबर–2021	4 फरवरी–2022
15 जून– 2021	5 अगस्त– 2021	7 दिसंबर–2021	21 मार्च–2022
	30 अगस्त– 2021		
	16 सितंबर– 2021		
	24 सितंबर– 2021		

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 8 (आठ) दिन और 59 (उनसठ) दिन था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 की अंतिम बोर्ड बैठक से वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली बोर्ड बैठक के बीच 72 (बहत्तर) दिनों का अंतराल था।

(iii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

बोर्ड, कंपनी में मौजूद सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच रखता है। बोर्ड को दी गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता सेबी एलओडीआर विनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक रहती है।

बोर्ड को उपलब्ध कराई गई जानकारी में अन्य जानकारी के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और कोई अद्यतन सूचना।
3. धन जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव।
5. कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
6. बोर्ड की रिपोर्ट के साथ–साथ इसके अनुबंध
7. लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव, यदि लागू हो, की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और वेतन के संबंध में जानकारी।
10. कारण, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, यदि कोई हो तो दिखाएं।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी महत्वपूर्ण अपशिष्ट या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए वस्तुओं के लिए अधिक मात्रा में न किया गया भुगतान, यदि कोई हो ।
13. ऐसा मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हैं, जिनमें ऐसा कोई भी निर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के संचालन की निंदा का कारण बन सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकता है, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव, यदि कोई हो, पड़ सकता है।
14. किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार, अनुषंगी कंपनियों का गठन, सामरिक गठबंधन आदि, यदि कोई हो, का विवरण।
15. ऐसे लेन–देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा, के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है, यदि कोई हो।
16. महत्वपूर्ण श्रम संबंधी समस्याएं, यदि कोई हों और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि, यदि कोई हो।
17. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, की बिक्री जो महत्वपूर्ण प्रकृति की हैं और कारोबार के सामान्य क्रम में नहीं हैं, यदि कोई हो।
18. विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचालन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्त्वपूर्ण हो।
19. किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता अपेक्षाओं का गैर–अनुपालन और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का गैर–भुगतान आदि, यदि लागू हों।
20. विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
21. शेयर पूंजी लेखा परीक्षा के समाधान, निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
22. उधारियों और ऋण–विमोचन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
23. अल्पावधि अधिशेष निधियों के परिनियोजन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
24. ऋण पोर्टफोलियो गुणवत्ता और विविधता के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
25. निधियों की लागत के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
26. ऋण बही के ईसीएल आधारित क्रेडिट जोखिम वर्गीकरण के संबंध में तिमाही रिपोर्ट।
27. दीर्घावधि निवेशों के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
28. सूचना–प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
29. उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट।
30. शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
31. बोर्ड के पूर्व के विचार–विमर्श/निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।
32. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए यथा–अपेक्षित, कोई अन्य जानकारी।

(iv) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड के बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति											बैठकों की कुल संख्या			24-सितंबर-2021 को आयोजित 52वीं एजीएम में उपस्थिति
		28-मई-2021	15-जून-2021	19-जुलाई-2021	5-अगस्त-2021	30-अगस्त-2021	16-सितंबर-2021	24-सितंबर-2021	29-अक्टूबर-2021	7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %	
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे *सीएमडी 22–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	📹	1	1	100	लागू नहीं
2	श्री संजय मल्होत्रा *सीएमडी 10–फरवरी–2022 तक*	👤	👤	👤	👤	📹	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	10	10	100	📹
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी) 31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	👤	👤	👤	📹	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8	8	100	📹
4	श्री अजय चौधरी निदेशक *निदेशक (वित्त)*	👤	👤	👤	👤	📹	👤	👤	👤	👤	👤	👤	11	11	100	📹
5	श्री विशाल कपूर *सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	📹	📹	👤	📹	📹	📹	6	6	100	📹
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	📹	2	2	100	लागू नहीं
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 31–जनवरी–2022 तक*	📹	📹	📹	📹	📹	📹	📹	👤	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	9	9	100	📹
8	श्री तन्मय कुमार *सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 तक*	📹	📹	📹	📹	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100	लागू नहीं
9	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र *निदेशक 15–नवंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100	लागू नहीं
10	डॉ. मनोज मनोहर पांडे *स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100	लागू नहीं
11	डॉ. दुर्गेश नंदिनी *स्वतंत्र निदेशक 30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100	लागू नहीं

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

(v) आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री अजय चौधरी, निदेशक (वित्त) कंपनी के आगामी 53वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, स्वयं की पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया हैं।

श्री अजय चौधरी की विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी सहित उनका संक्षिप्त विवरण 53वीं एजीएम के नोटिस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

इसके अलावा, श्री वी.के. सिंह का संक्षिप्त वृत्त और अन्य विवरण सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार नियुक्ति के लिए एजीएम की सूचना के साथ संलग्न हैं।

(vi) निदेशकों को बीच परस्पर संबंध

कंपनी के निदेशकों को बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(vii) गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोई भी गैर–कार्यपालक निदेशक कंपनी में किसी शेयर या परिवर्तनीय लिखत का धारक नहीं है। श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीएफसी के भूतपूर्व नामित निदेशक, जो 1 फरवरी, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं है, कंपनी में ₹10/– के 40 इक्विटी शेयर के धारक थे।

(viii) स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी

वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया।

सभी स्वतंत्र निदेशकों के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), मानेसर द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशक के डाटाबैंक पर वैध पंजीकरण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

बोर्ड की राय में, नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी एलओडीआर विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, 22 मार्च, 2022 को आरईसी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(vii) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षता और गुण

आरईसी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक, जो कंपनी के संचालन में अपेक्षित कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता लाते हैं और बोर्ड एवं इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करते हैं, शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आरईसी, निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करता है। आरईसी के कारोबार की बारीकियों और समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और गुणों की पहचान की है:

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधि आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं /बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कार्पोरेट योजना और कार्यनीति	प्रबंधन गतिविधियां, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएं निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य हितधारक आशयित परिणामों/नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ–साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेशधवित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना। साइबर सुरक्षा और आईटी परिवेश से संबंधित जोखिमों का शमन।
नेतृत्व	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंकों या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करना। कंपनी बोर्ड को बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित सुशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करनी है।
कारोबार विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके कारोबार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।
पर्यावरण और समाज	जलवायु संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, कृषि, सततता, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, लोक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक विकास परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में अनुभव।

निम्न सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग–अलग सदस्यों और इसके बाद नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर किया गया है:

बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं									
निदेशक का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कार्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	कारोबार विकास	पर्यावरण और समाज
श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
श्री अजय चौधरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विशाल कपूर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	✓			✓		✓	✓	✓	✓
डॉ. गंभीर सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. मनोज मनोहर पांडे	✓			✓	✓	✓	✓		✓
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	✓			✓	✓	✓	✓		✓
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विवेक कुमार देवांगन#	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विजय कुमार सिंह$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**10–16 मई, 2022 के दौरान नियुक्त किया गया*

#17–मई–2022 से नियुक्त किया गया

$15–जुलाई–2022 से नियुक्त किया गया

किसी सदस्य के नाम के आगे टिक मार्क न होने का अर्थ यह नहीं है कि उक्त सदस्य के पास तदनुरूपी कौशल या विशेषज्ञता नहीं है।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या कारोबार और सुशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियां निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति को प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर उन्हें सौंपे गए कार्य क्षेत्रों के तहत सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए इनकी बैठकें नियमित रूप से और आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियां थीं:–

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
6. अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति
7. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति
8. आईटी कार्यनीति समिति
9. 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप–समिति

कंपनी के अंतर्नियमों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्नियम 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों, उपस्थिति आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18 और निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति की गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में यथा परिकल्पित लेखा परीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन;

ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय–समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय–समय पर संशोधित, का अनुपालन।

लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, लेखा परीक्षा समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें हुईं। 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			28-मई-2021	5-अगस्त-2021	29-अक्टूबर-2021	7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	श्री विशाल कपूर सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष *7–सितंबर–2021 से 6–दिसंबर–2021 के दौरान*	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
3	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष *7–सितंबर–2021 तक*	🎥	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
4	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
5	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	🎥	1	1	100
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *31–जनवरी–2022 तक*	🎥	🎥	👤	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
8	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	3	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा 4 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई लेखा परीक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्या थीं। लेखापरीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), दो सदस्य या कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा परीक्षा समिति के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्य वित्तीय रूप से सुविज्ञ हैं और लेखा परीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता थी। इसके अलावा, दिनांक 24 सितंबर, 2021 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उपबंधों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार है:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 3 (तीन) बैठक हुईं। 31 मार्च, 2022 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और वर्ष के दौरान हुई इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	एनआरसी की बैठक और उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	👤	👤	👤	3	3	100
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	👤	👤	👤	3	3	100
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से 30–दिसंबर–2021 के दौरान*	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर)/अनुभाग प्रमुख (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी थी। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों और मूल्यांकन तंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी के गैर–कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी, पीएफसी के साथ वित्तीय वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करती है, जिसके प्रमुख मापदंडों को विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, डीपीई द्वारा जारी समझौता–ज्ञापन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, समझौता–ज्ञापन मानकों की तुलना में किया जाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय–समय पर लोक उद्यम विभाग

(डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गैर–कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित), बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित सीमा के भीतर बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, बोर्ड ने अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक पर एक नीति अपनाई है, जो https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended--Policy-onBoard-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अनुलाभ	फार्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	जोड़
1	**श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे** सीएमडी 22–फरवरी–2022 से	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2	**श्री संजय मल्होत्रा** सीएमडी 10–फरवरी–2022 तक	32,21,518	-	-	67,492	-	-	-	**32,89,010**
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता** निदेशक (तकनीकी) 31–अक्टूबर–2021 तक	26,50,732	25,43,826	14,11,164	12,635	20,83,661	2,48,979	53,832	**90,04,829**
4	**श्री अजय चौधरी** निदेशक (वित्त)	51,41,004	29,52,525	1,44,681	1,48,820	-	4,18,076	1,44,250	**89,49,356**
5	**श्री जे एस अमिताभ** कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव	51,24,085	32,52,409	35,909	31,477	-	4,16,718	1,44,113	**90,04,711**

टिप्पणियां :

1. *श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्य करते हुए, 22 फरवरी, 2022 से 9 मई, 2022 के दौरान सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आरईसी द्वारा उन्हें किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।*
2. *श्री संजय मल्होत्रा 10 फरवरी, 2022 तक कंपनी के सीएमडी थे। उनके पारिश्रमिक विवरण केवल उक्त अवधि के लिए सूचित किए गए हैं।*
3. *श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), 31 अक्टूबर, 2021 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। तदनुसार, उनके पारिश्रमिक विवरण 1 अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के लिए सूचित किए गए हैं।*
4. *प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।*
5. *फॉर्म–16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।*
6. *वित्तीय वर्ष 2020–21 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अतः, नियोक्ता के पेंशन अंशदान, फॉर्म–16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।*
7. *कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूट प्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेच्युटी फंड) में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।*
8. *कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।*
9. *निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, निष्कर्षण शुल्क आदि सहित नियुक्ति की शर्तें, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।*

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/– और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 30,000/– के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थेः–

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	श्री विशाल कपूर सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 से	-	-	-
2	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 तक	-	-	-
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से	1,20,000	3,60,000	4,80,000

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
4	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से	1,20,000	3,30,000	4,50,000
5	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक 30–दिसंबर–2021 से	80,000	1,50,000	2,30,000
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 4–फरवरी–2022 से	-	-	-
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 31–जनवरी–2022 तक	3,60,000	4,20,000	7,80,000
	जोड़	**6,80,000**	**12,60,000**	**19,40,000**

टिप्पणियाँ:

पीएफसी के नामित निदेशक आरईसी के बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार है, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा भाग ली जाने वाली बोर्ड और समिति की बैठकों के संबंध में इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया है। हालांकि, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति के बाद पीएफसी ने एक पत्र भेजा है कि आरईसी के बोर्ड या समितियों की बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, के संबंध में कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर–कार्यपालकों निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है।

3.3 हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। हितधारक संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्र धारकों (डिबेंचरहोल्डर) आदि जैसे विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज का प्राप्त न होना से संबंधित मामलों के निवारण पर ध्यान देती है।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, हितधारक संबंध समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी हितधारक संबंध समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति समिति की 3 (तीन) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	एसआरसी की बैठकें और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			28 - मई - 2021	4-अगस्त-2021	28 - अक्टूबर-2021	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी नामित निदेशक	अध्यक्ष *31–जनवरी–2022 तक*	📹	📹	👤	3	3	100
3.	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	👤	👤	3	3	100
5.	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	👤	👤	3	3	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह (31 जनवरी, 2022 तक) थे, इसके बाद डॉ. दुर्गेश नंदिनी (4 फरवरी, 2022 से) अध्यक्ष बने, ये दोनों ही गैर–कार्यपालक निदेशक थे। श्री जे एस अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं।

हितधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बॉण्ड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता हितधारक संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

शेयरधारकों/ऋणपत्र-धारकों (डिबेंचर होल्डर) के अनुरोध और शिकायतें

शेयरधारकों और ऋणपत्र–धारकों के अनुरोधों या शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात, संबंधित पंजीयक से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

कंपनी सभी निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई करती है। निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 13 (3) के अनुसरण में शेयरधारकों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों और अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	4,670	1,397	6,067
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	4,667	1,397	6,064
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	*3	0	*3

**उक्त 3 अनुरोधों/शिकायतों का 31 मार्च, 2022 तक समाधान नहीं किया गया था, जिनका समाधान अब किया जा चुका है।*

निवेशक एससीओआरईएस(सेबी शिकायत निवारण तंत्र) पर अपनी परिवाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो एक वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए रिमाइंडर भेज सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसके पास शिकायत लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है। एक निवेशक, जो एससीओआरईएस से परिचित नहीं है या उसके पास एससीओआरईएस तक पहुंच नहीं है, भौतिक रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है, या कंपनी को अपनी शिकायत complianceofficer@recl.in पर भेज सकता है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय–समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए यथाअपेक्षित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	आरएमसी की बैठकें और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			19 - जुलाई - 2021	7 - जनवरी - 2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का%
1	डॉ. गंभीर सिंह *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	📹	1	1	100
2	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक*	अध्यक्ष *6–दिसंबर–2021 तक*	👤	लागू नहीं	1	1	100
3	डॉ. मनोज मनोहर पांडे *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	📹	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी *निदेशक (वित्त)*	सदस्य	👤	👤	2	2	100
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है। सीआरओ आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम समिति में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त–संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य संचालन) और मुख्य महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) विभाग आरएमसी की बैठकों में आमंत्रित हैं।

3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' (सीएसआर समिति) का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;

ख) कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय–समय पर निगरानी करना;

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / प्रस्तावों की अनुशंसा / समीक्षा करना;

ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाआ / कार्यक्रमों / गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;

च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) अन्य बातों के साथ–साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रप्त्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;

ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनाय तथा

झ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के संबंध में समय–समय पर संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2022 को सीएसआर समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	सीएसआर समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति								बैठकों की कुल संख्या		
			28 - मई - 21	19 - जुलाई - 21	4 - अगस्त - 21	16 - सितंबर - 21	28 - अक्तूबर - 21	7 - दिसंबर - 21	4 - फरवरी - 22	21 - मार्च - 22	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ मनोज एम पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *(7 दिसम्बर, 2021 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष *(31 अक्टूबर 2021 तक)*	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *(7 दिसंबर, 2021 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *(7 दिसंबर, 2021 तक)*	📹	📹	📹	📹	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	100
5	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित   लागू नहीं   लागू नहीं

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।

3.6 अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग के लिए समिति का गठन जमा प्रमाणपत्रों में एक बार में ₹1000 करोड़ और उससे अधिक या म्यूचुअल फंडों एवं सावधि जमाओं में एक बार में ₹2000 करोड़ और उससे अधिक की अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश / उपयोग को अनुमोदित करने के उद्देश्य से किया गया है। समिति में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सदस्यों के रूप में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं। उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.7 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है। एएलसीओ, एएलएम सहायता समूह – जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है – की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एएलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है।

एएलसीओ की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी के वित्तीय और प्रचालन प्रभागों के कार्यपालक निदेशक या मुख्य महा प्रबंधक (सीजीएम) शामिल हैं। भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) की सेवानिवृत्ति के बाद, 31 मार्च, 2022 तक निदेशक (तकनीकी) का पद रिक्त था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एएलसीओ की 4 (चार) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2022 को एएलसीओ की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक/सदस्यों के नाम/पदनाम	समिति में पद	एएलसीओ की बैठकें और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			28 - जून - 21	28 - सितंबर - 21	24 - दिसंबर - 21	19 - मार्च - 22	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक/सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(22–फरवरी–2022 से)*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100
2	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष *(10–फरवरी–2022 तक)*	📹	👤	👤	लागू नहीं	3	3	100
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	📹	👤	👤	लागू नहीं	2	2	100
5	कार्यपालक निदेशक (संसाधन)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100
6	कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक (निजी / राज्य प्रचालन)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100
7	कार्यपालक निदेशक / सीजीएम (एएलएम)	सदस्य	📹	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित   लागू नहीं   लागू नहीं

एएलसीओ की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्य है। कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को एएलसीओ की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक सदस्य और एएलसीओ के संयोजक के लिए किसी पूर्तिकर (बैकअप) कार्यपालक को भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

3.8 आईटी कार्यनीति समिति

एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने एक आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है। आईटीएससी की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) / आईएसएमएस अधिकारी और एक बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। आईटीएससी की भूमिका में कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के तरीकों की निगरानी करना, आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय निदेश प्रदान करना और कंपनी की आईटीएससी और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, आईटीएससी की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में आईटीएससी का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीएससी की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आईटीएससी की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक/सदस्य के नाम/पदनाम	समिति में पद	आईटीएससी की बैठकें और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			18 - अगस्त - 21	18 - फरवरी - 22	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	📹	1	1	100
2	कार्यपालक निदेशक (आईटी)(सीआईओ)	अध्यक्ष *6–दिसंबर–2021 तक* सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	👤	📹	2	2	100
3	मुख्य महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (आईटी) (सीटीओ)	सदस्य	👤	📹	2	2	100
4	बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	📹	📹	2	2	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित   लागू नहीं   लागू नहीं

3.9 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति

आरईसी के बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ, आरईसी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा जब कभी भी ₹250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के जारी किए जाने पर निविदा नोटिस की संवीक्षा/समीक्षा के लिए 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप–समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और पीएफसी द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उक्त उप–समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.10 कार्यपालक समिति

निदेशकों की कार्यपालक समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

एंटिटी के प्रकार	विशिष्ट स्कीम/परियोजना के लिए सीमा और एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत (यूटिलिटिज) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एक वित्तीय वर्ष में ₹25,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹150 करोड़ तक का रुपया सावधि ऋण
निजी क्षेत्र की विद्युत (यूटिलिटिज)	एक वित्तीय वर्ष में ₹6,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹100 करोड़ तक

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कार्यपालक समिति की 4 (चार) बैठकें हुईं और वर्ष के दौरान हुई अपनी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	कार्यपालक समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			14-अप्रैल-21	19-अप्रैल-21	22-अप्रैल-21	24-मई-21	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	4	4	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

तथापि, उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियों को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिंया गया।

3.11 ऋण समिति

निदेशकों की ऋण समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के लिए किया गया था:

एंटिटी का प्रकार	विशिष्ट स्कीम/परियोजना के लिए सीमा और एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम सीमा
केंद्र/राज्य सर. कार की विद्युत (यूटिलिटिज) या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एक वित्तीय वर्ष में ₹30,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹500 करोड़ तक का रुपया सावधि ऋण
	कोविड–19 के तहत, डिस्कॉमों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशिष्ट दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण
	उदय योजना के तहत ₹500 करोड़ से अधिक का विशेष ऋण
	उदय योजना की सीमा में छूट देते हुए डिस्कॉमों को ₹500 करोड़ से अधिक का विशिष्ट दीर्घावधि पारगमन (ट्रांजिशन) ऋण
	डिस्कॉम/गेडकोस को ₹500 करोड़ से अधिक की परिक्रामी बिल भुगतान सुविधाएं
निजी क्षेत्र की विद्युत (यूटिलिटिज)	एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 करोड़ की कुल अधिकतम सीमा के साथ ₹500 करोड़ तक

तथापि, उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को ऋण समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियों को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिंया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.12 मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति

मियादी ऋणों/अल्पावधि ऋणों के लिए विभिन्न ऋण दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप–समिति का गठन कंपनी द्वारा दिए गए मियादी ऋणों और अल्पावधि ऋणों के लिए ऋण दरों की समीक्षा के लिए किया गया था।

तथापि, उचित सावधानी और अनुमोदन के स्तर को अनदेखा किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, निदेशक मण्डल ने दिनांक 28 मई, 2021 को कार्यपालक समिति को भंग कर दिया तथा इसकी शक्तियों को निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) की सहमति से निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया।वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, उक्त उप–समिति की एक बैठक आयोजित की गई और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण इसके पश्चात दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	उप-समिति की बैठकें और उसमें उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
			24-मई-2021	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित	सदस्य ने भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	👤	1	1	100
2	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य	👤	1	1	100
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	👤	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

4. अन्य समितियां

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए निदेशक मण्डल द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 स्थायी ऋण लिखत समिति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित "स्थायी ऋण लिखत नीति" के अनुरूप, कंपनी ने जनवरी, 2021 में ₹ 558.40 करोड़ के स्थायी ऋण लिखत जुटाए हैं, जो अप्रतिभूत, अधीनस्थ, असंपरिवर्तनीय लिखत हैं। उक्त नीति के अनुपालन में, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थायी ऋण लिखत पर कूपन के भुगतान/गैर–भुगतान पर निर्णय लेने के लिए सीएमडी, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम) कम से कम दो सदस्य है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 12 जनवरी, 2022 को स्थायी ऋण लिखत समिति की पहली (एक) बैठक हुई, जिसमें सीएमडी और निदेशक (वित्त) ने भाग लिया।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति, भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के संप्रेषण, प्रतिस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नामतः श्री जे.एस. अमिताभ (कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक – वित्त) सदस्य के रूप में शामिल थे। तथापि, वित्तीय वर्ष, 2021–22 के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी नामतः **आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)** (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) है। आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में शामिल करता है।

ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां (परियोजना विशिष्ट एसपीवी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसरण में आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां भी होती हैं। प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगी कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल के निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां थी, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी थीं:

(1) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(1) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

(3) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

(4) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(6) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(7) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड

(8) ईआर–एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड

एसपीवी/अनुषंगी कंपनियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

सभी अनुषंगी कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर–सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल और अन्य अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://.recindia.nic.in/recpdcl पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है, कंपनी की कोई ''महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी'' नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित अनुषंगी कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-subsidiaries-dt230719.pdf पर उपलब्ध है।

6. आम निकाय बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) और उनमें पारित संकल्पों का विवरण इसके पश्चात दिया गया है:–

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित किया गया विशेष संकल्प
50वीं	2018–19	29 अगस्त, 2019	11:00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली –110010	प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन
51वीं	2019–20	25 सितंबर, 2020	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से	1. कंपनी की समग्र उधार सीमा बढ़ाने के लिए। 2. कंपनी की सभी या किसी चल और / या अचल संपत्तियों पर रेहन और / या प्रभार सृजित करना। 3. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।
52वीं	2020–21	24 सितंबर, 2021	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से	1. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन। 2. कंपनी के अंतर्नियमों के उद्देश्य खंड में संशोधन।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 मई, 2022 का सामान्य परिपत्र संख्या 02/22 जारी किया है, जिसके अनुसार आरईसी की आगामी 53वीं एजीएम शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को वीसीध्ओएवीएम मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी, शेयरधारकों को उक्त एजीएम के लिए इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी और ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिसका प्रासंगिक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली 53वीं एजीएम की सूचना में दर्शाया जा रहा है।

इसके अलावा, 13 मई, 2022 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परिपत्रों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के उक्त सामान्य परिपत्र के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के उन शेयरधारकों और असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को सॉफ्ट कॉपी में भेजी जा रही है, जिनका ईमेल पता पंजीकृत है।

6.1 पोस्टल बैलेट

(क) मार्च-अप्रैल, 2022 में आयोजित पोस्टल बैलेट प्रक्रिया

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने 25 मार्च, 2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस के माध्यम से निम्नलिखित के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन का आग्रह किया:

- पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) की नियुक्ति; तथा
- श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन: 05254178) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति।

इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुरूप, पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजा गया था, जिनके ईमेल पते पंजीकृत थे और जिनके नाम 23 मार्च, 2022 (अर्थात, "निर्णायक तिथि") की स्थिति के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हो रहे थे। पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 25 मार्च, 2022 को पूरा हुआ। प्रेषण के पूरा होने के संबंध में एक विज्ञापन सोमवार, 28 मार्च, 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) में प्रकाशित किया गया था।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") उक्त पोस्टल बैलेट के लिए नियुक्त रिमोट ई–वोटिंग एजेंसी थी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 29 मार्च, 2022 (0900 घंटे) भारत मानक समय (आईएसटी) से बुधवार, 27 अप्रैल, 2022 (1700 घंटे) (आईएसटी) तक, दोनों दिवसों को शामिल करने के साथ, खुला था। मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएस नंबर 6033, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 6370) को उक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि पूरी होने और संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2022 को ई–वोटिंग के परिणाम घोषित किए गए। दोनों प्रस्तावों को भारी बहुमत से पारित किया गया। उक्त प्रस्तावों के लिए मतदान पैटर्न का विवरण निम्नानुसार था:

संकल्प का संक्षिप्त विवरण	संकल्प का प्रकार	पक्ष में मत	विरुद्ध में मत
		%	%
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) की नियुक्ति	साधारण	85.95%	14.05%
श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन: 05254178) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति	साधारण	93.70%	6.30%

परिणाम वेबसाइट और कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (कार्यालयों) पर प्रदर्शित किए गए थे; और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को सूचित किया गया। इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संबंध में अधिक विवरण https://recindia.nic.in/postalballot पर दिया गया हैं।

(ख) जुलाई-अगस्त, 2022 में आयोजित पोस्टल बैलेट प्रक्रिया

31 मार्च, 2022 के बाद, कंपनी ने 8 जुलाई, 2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस के माध्यम से निम्नलिखित के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा:

- श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन: 01377212) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति; तथा
- आरक्षिती का पूंजीकरण करने और कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए।

इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुरूप, पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजा गया था, जिनके ईमेल पते पंजीकृत थे और जिनके नाम 5 जुलाई, 2022 (अर्थात, "निर्णायक तिथि") की स्थिति के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हो रहे थे। पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 8 जुलाई, 2022 को पूरा हुआ। प्रेषण के पूरा होने के संबंध में एक विज्ञापन शनिवार, 9 जुलाई, 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) में प्रकाशित किया गया था।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") उक्त पोस्टल बैलेट के लिए नियुक्त रिमोट ई–वोटिंग एजेंसी थी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (0900 घंटे) भारतीय मानक समय (आईएसटी) से मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 (0900 घंटे) तक, दोनों दिवसों को शामिल करने के साथ, खुला था। सीएस हेमंत कुमार सिंह को उक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि पूरी होने और संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 को ई–वोटिंग के परिणाम घोषित किए गए। दोनों प्रस्तावों को भारी बहुमत से पारित किया गया। उक्त प्रस्तावों के लिए मतदान पैटर्न का विवरण निम्नानुसार था:

संकल्प का संक्षिप्त विवरण	संकल्प का प्रकार	पक्ष में मत	विरुद्ध में मत
		%	%
श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन: 01377212) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति;	साधारण	93.68%	6.32%
आरक्षिती का पूंजीकरण करने और कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए	साधारण	98.39%	1.61%

परिणाम वेबसाइट और कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (कार्यालयों) पर प्रदर्शित किए गए थेय और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को सूचित किया गया। इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संबंध में अधिक विवरण https://recindia.nic.in/postalballot पर दिया गया हैं।

7. इलेक्ट्रानिक माध्यम से दस्तावेजों की प्रदायगी

वित्तीय वर्ष 2010–11 से, आरईसी ऐसे शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर रहा है, जिनकी ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) या पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश (अंतरिम या अंतिम) की सूचना भी भेजी जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की 53वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित किए हुए शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को ई–मेल आईडी को अपडेट करने के लिए एसएमएस भी भेजे हैं, जिनके मोबाइल नंबर संबंधित निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में पंजीकृत थे। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपनी ई–मेल आईडी को पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे ई–मेल आईडी के पंजीकरण और आगामी एजीएम में मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त के अधिप्रापण के लिए 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति हितधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है।

9. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहार (लेन–देन) लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की जानकारी के लिए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-150722.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, प्रपत्र एओसी–2 में प्रकटन करने के लिए अपेक्षित संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार के ब्यौरे 'शून्य' थे।

10. प्रकटीकरण

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित ऐसा कोई भी मामला नहीं था जिसमें अनुपालन न किया गया हो। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों और समय–समय पर यथासंशोधित, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के निगमित सुशासन निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। वर्ष के कुछ भाग के लिए, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और कुछेक समितियों की संरचना सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

   ऐसे गैर–अनुपालनों के कारण, एनएसई और बीएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी चार तिमाहियों के लिए जीएसटी सहित ₹86,21,080/– (प्रत्येक द्वारा जीएसटी सहित ₹43,10,540/–) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इससे पूर्व में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष 2020–21 की सभी चार तिमाहियों के लिए जीएसटी सहित कुल ₹95,93,400/– (जीएसटी सहित ₹47,96,700/– प्रत्येक द्वारा) का जुर्माना अधिरोपित किया गया था।

   यह उल्लेखनीय है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकरण, अर्थात् विद्युत मंत्रालय से अनुरोध कर रही है और कंपनी का निदेशकों की नियुक्ति या उसके बोर्ड और समितियों की संरचना को बनाए रखने में कोई नियंत्रण नहीं है। इसे देखते हुए, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया थाध्अनुरोध कर रही है। यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी पर सितंबर, 2020 और दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए कंपनी पर अधिरोपित किए गए जुर्माने को बीएसई ने पहले ही माफ कर दिया है। कंपनी शेष जुर्माने (जुर्मानों) को भी माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अनुसरण कर रही है।

2. सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर दर्ज कराए गए थे।

3. कंपनी ने, उपरोक्त बिंदु 1 में यथावर्णित, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने और बोर्ड की कुछ समितियों के गठन को छोड़कर, सेबी एलओडीआर

विनियमों के विनियम 17 से 27 की बोर्ड, समितियों और निगमित सुशासन से संबंधित अपेक्षाओं, समय–समय पर यथासंशोधित,य और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के तहत कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची ट के भाग ग के अनुसार निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।

इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-seb पर प्रासंगिक जानकारी का प्रकटीकरण किया है।

4. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हेजिंग नीति, जो मुद्राओं में विनिमय दर में उतार–चढ़ाव – जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं – सहित विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को कवर किया जाता है। लेखाओं के लिए टिप्पणियों में विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग होते हैं और उनका प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों जैसे स्वैप, ऑप्शंस, फॉरवर्ड आदि के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है, जो किसी भी वस्तु की कीमत के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

5. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।

6. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।

7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

8. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन–देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।

9. वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों ने बोर्ड के समक्ष सभी महत्वपूर्ण, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों (लेन–देन) से संबंधित प्रकटीकरण किया है, जिनमें उनके व्यक्तिगत हित हैं जो संभवतः बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के विरोधाभासी (उदाहरण के लिए, कंपनी के शेयरों में संव्यवहार करना, प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों आदि की शेयरधारिता वाले निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार) हो सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विरोधाभास का ऐसा कोई मामला नहीं था।

10. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने उन फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया, जिनमें निदेशकों के हित हैं।

11. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹106.71 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹116.06 करोड़ हो गया है, जो कंपनी की कारोबारिक गतिविधियों में सामान्य वृद्धि के अनुरूप मामूली परिवर्तन है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.43% (पिछले वर्ष 0.43%) थे; और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 0.53% (पिछले वर्ष 0.50%) थे।

12. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो कारोबार के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो प्रकृति में व्यक्तिगत था और निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।

13. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए तुलन–पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

14. वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई लेखा परीक्षा आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधान के अनुरूप, बिना संशोधित राय के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

15. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई स्टॉक ऑपशंस/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

16. निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण निम्नानुसार था:

समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
30 जून, 2021	7 जुलाई, 2021
30 सितंबर, 2021	14 अक्टूबर 2021
31 दिसंबर, 2021	10 जनवरी 2022
31 मार्च 2022	7 अप्रैल, 2022

इसके अलावा, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट 7 अप्रैल, 2022 को निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की सभी तिमाहियों के लिए निर्धारित समय के भीतर सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 27(2)(क) के तहत निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की है।

17. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

18. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं मिला है।

19. कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को समय–समय पर कारोबार और प्रचालन की प्रकृति, कंपनी की कार्यनीति और प्रदर्शन, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों और अन्य प्रासंगिक विषयों से अवगत कराती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने वर्ष के दौरान नियुक्त अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रति निदेशक कुल 20 घंटे की अवधि के 3 (तीन) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां आदि भी उपलब्ध कराईं।

इसके अलावा, बोर्ड और समिति की बैठकों में प्रस्तुतिकरणों की सहायता से, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित संवाद, स्वतंत्र निदेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण https://recindia.nic.in/uploads/files/Familiarization-programme---13072022.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने *बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार* की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

20. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन पर कुछ गैर–अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:

क) **बोर्ड** कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;

ख) **शेयरधारक के अधिकार:** कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;

ग) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित कोई लेखा परीक्षा आपत्ति/संशोधित राय नहीं है और कंपनी सदैव आपत्तिरहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;

घ) **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या सीईओ के अलग-अलग पद:** के अलग–अलग पदः अध्यक्ष और सीईओ के अलग–अलग पद नहीं हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की भूमिका का निर्वहन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है और मुख्य वित्तीय अधिकारी, सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है;

ङ) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्य के प्रमुख, सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता हैं।

21. सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32(7क) और विनियम 52(7) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021–22 में बॉण्डों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग जारी रही। जो कि क्रिसिल, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में दी गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2021–22 में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरईसी को प्रदान की गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अलावा, मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-क** पर दी गई है।

24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड–स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियां) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड–स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।

11. **लागू किए गए कानूनों का अनुपालन**

लागू कानूनों और इनसे संबंधित सांविधिक, नीतिगत एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी में एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सांविधिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

12. **बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नीति संहिता**

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

यह संहिता https://recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा निम्नानुसार है:

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबारिक आचरण और नीति संहिता के तहत घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./–
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 8 जुलाई, 2022

13. **निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिर्पोटिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता**

कंपनी में "निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिर्पोटिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता" मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf पर उपलब्ध है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी हितधारक या कारोबार भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर–अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी किसी यूपीएसआई को तिमाही परिणामों पर विचार सहित विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाती है और ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना नामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, तो उन्हें और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार करने से रोकते हुए, कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उचित घोषणाएं की जाती हैं।

14. **धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति**

कंपनी ने "धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति" तैयार की है जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ धोखाधड़ी का पता और रोकथाम, धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की पहचान या संदिग्ध और उचित व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली प्रदान की गयी है। इस नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम के लिए तथा धोखाधड़ी के मामले में इसे रोकने और/या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है।
ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ संव्यवहार करने वाले अन्य लोगों को किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल होने से रोकने और किसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संशय होने पर उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना।
iii. नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी का पता चलने या संदेह होने पर रिपोर्ट करने के लिए समय–सीमा और विवरण प्रदान करना।
iv. धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की जांच करना।
v. यह आश्वस्त करना कि किसी भी और सभी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि (गतिविधियों) की पूरी तरह से जांच की जाएगी।
vi. आरईसी के विरूद्ध किसी भी रूप में धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उक्त नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-Prevention-Policy-310122.pdf पर उपलब्ध है।

15. **व्हीसल ब्लोअर नीति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी की एक "व्हिसल ब्लोअर नीति" है। सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति, आरईसी औरध्या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के कारोबार या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। शिकायत करने का तरीका और सक्षम प्राधिकारी नीति के तहत निर्दिष्ट हैं। यह नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा, कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और, जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है, निम्नानुसार है:

कंपनी की सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति के संदर्भ में वार्षिक अभिकथन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने से नहीं रोका गया ह और जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई।

ह./–
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 20 जून, 2022

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत जारी किए गए सूचना प्रदाता नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और इसे कंपनी की "सतर्कता नियम–पुस्तिका" में सम्मिलित किया गया है।

16. **लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क**

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:;

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
क.	सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखा परीक्षक के रूप में	0.58	0.66
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.15	0.25
(iii)	कंपनी कानून के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.33	0.26
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:		
	(क) एमटीएन प्रस्ताव दस्तावेज/सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.10
	(ख) अन्य प्रमाणपत्र	0.22	0.04
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.03	-
	उप-जोड़	**1.41**	**1.38**
ख.	लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.12	0.12
	जोड़	**1.53**	**1.43**

**वित्तीय वर्ष 2020–21 के कराधान मामलों के शुल्क में, पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कराधान मामलों के लिए ₹0.12 करोड़ का शुल्क शामिल है।*

17. **संचार के साधन**

कंपनी, सभी हितधारकों के साथ प्रासंगिक सूचनाओं के समयोचित संचार को कंपनी के समग्र निगमित सुशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है। कंपनी अपनी वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों पर की गई फाइलिंग, मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन, सोशल मीडिया अपडेट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन सहित विभिन्न माध्यमों से अपने शेयरधारकों, बॉण्डधारकों और अन्य हितधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी समय–समय पर विश्लेषक बैठकों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संवाद भी करती है।

नवीनतम अपडेट और समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों में किए गए प्रासंगिक कॉर्पोरेट प्रकटीकरण, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति और संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए परिणाम प्रस्तुतीकरण सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.nic.in/disclosures.under.regulation.46.of.sebi पर निवेशक खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं।

कंपनी ने अपने शेयरधारकों और बॉण्डधारकों के प्रश्नों के समाधान के लिए टेलीफोन नंबर और ई–मेल आईडी निर्दिष्ट किए हैं। ये विवरण https://recindia.nic.in/investors-contact पर देखे जा सकते हैं।

18. **सीईओ/सीएफओ प्रमाणन**

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 13 मई, 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ख** पर संलग्न है।

19. **शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी**

i. **वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक आम बैठक**

शेयरधारकों की आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से आयोजित की जाएगी:–

दिन, दिनांक	शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022
समय	11:00 बजे पूर्वाह्न

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दर्शायी गई है।

ii. **वित्तीय कैलेंडर (वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए)**

पिछले/पूर्ण वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22) की तुलना में अगले/आगामी वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिए वित्तीय कैलेंडर:–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
लेखांकन अवधि	1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022		1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	5–अगस्त–2021	पहली तिमाही	तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर
	दूसरी तिमाही	29–अक्टूबर–2021	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	4–फरवरी–2022	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही और वार्षिक	13–मई–2022	चौथी तिमाही और वार्षिक	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के अंदर
वार्षिक आम बैठक की तिथि	16–सितंबर–2022		अगस्त/सितंबर, 2023	

iii. **लाभांश**

(क) **लाभांश वितरण नीति**

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन वित्तीय मानकों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभांश की उम्मीद कर सकती है या नहीं सकते हैं। यह नीति https://recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) **वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निम्नानुसार अंतरिम लाभांश का भुगतान किया और अंतिम लाभांश की सिफारिश की है:

इस प्रकार, आगामी 53वीं वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश पर शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश ₹15.30 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के 153.10% का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 में कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के 127.10% का प्रतिनिधित्व करते हुए, भुगतान किये गए लाभांश अर्थात् ₹12.71 प्रति ₹10/– वाले इक्विटी शेयर से अधिक है।

कंपनी ने कंपनी की आगामी 53वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, उपरोक्त अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 13 जुलाई, 2022 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में घोषित कर दिया जाता है, तो शेयरधारकों को अंतिम लाभांश का भुगतान गुरुवार, 13 अक्टूबर 2022, को किया जाएगा।

विवरण	लाभांश भुगतान की तारीख	प्रत्येक ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश
पहला अंतरिम लाभांश	2–सितंबर–2021	₹2.00/-
दूसरा अंतरिम लाभांश	25–नवंबर–2021	₹2.50/-
तीसरा अंतरिम लाभांश	3–मार्च–2022	₹6.00/-
अंतिम लाभांश	13–अक्टूबर–2022*	*₹4.80/-
जोड़		**₹15.30/-**

**53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन*

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	प्रत्येक ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश
2016-17	1,974.92	1,905.79	*96.50	6–मार्च–2017	अंतरिम लाभांश (₹7.00)
				9–अक्टूबर–2017	अंतिम लाभांश (₹2.65)
2017-18	1,974.92	1,807.05	91.50	27–फरवरी–2018	अंतरिम लाभांश (₹7.40)
				15–अक्टूबर–2018	अंतिम लाभांश (₹1.75)
2018-19	1,974.92	2,172.41	110.00	19–मार्च–2019	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2019-20	1,974.92	2,172.41	110.00	24–फरवरी–2020	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2020-21	1,974.92	2,510.12	127.10	3–दिसंबर–2020	पहला अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				30–मार्च–2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				21–अक्टूबर–2021	अंतिम लाभांश (₹1.71)

**वित्तीय वर्ष 2016–17 से लाभांश का प्रतिशत, उक्त वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण समायोजन के बाद है*

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सीपीएसई द्वारा पूंजी प्रबंधन पुनर्संरचना संबंधी व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी अपने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से अधिकतम ₹658,30,60,000 की राशि का पूंजीकरण करते हुए, अपने शेयरधारकों को 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर, अर्थात, प्रत्येक ₹10/– प्रति के तीन (3) मौजूदा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक ₹10/– प्रति का एक (1) पूर्ण प्रदत्त बोनस इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती है। शेयरधारकों ने 9 अगस्त, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से उक्त बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी है। उक्त बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के साथ सममूल्य पर रैंक करेंगे।

पोस्टल बैलेट नोटिस और परिणाम https://recindia.nic.in/postalballot पर देखे जा सकते हैं। बोनस शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी को बढ़ाकर ₹2,633.22 करोड़ कर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ₹10/– प्रति के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयरों शामिल हैं।

(ग) **अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश के संबंध में इक्विटी शेयरों और अप्रदत्त/दावा न किए गए मूलधन/ब्याज के संबंध में डिबेंचर आदि और इक्विटी शेयरों और डिबेंचर के मूलधन और ब्याज को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।**

आईईपीएफ में अंतरित राशि

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में, ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश राशि और मूलधन और ब्याज की राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए प्रदत्त/अदावाकृत हैं, को केंद्रीय सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आईईपीएफ में अंतरण के लिए लाभांश की निम्नलिखित राशियां देय हो गईं, जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किया गया था:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (₹)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2013–14	17.11.2021	6,79,301
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2014–15	09.04.2022	25,66,648
जोड़		**32,45,949**

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार, सभी परिपक्व डिबेंचरों को डिबेंचर पर अर्जित ब्याज के साथ, जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और प्रदत्त रहे हैं, आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में डिबेंचर पर अदावाकृत मूलधन/ब्याज के संबंध में निम्नलिखित राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी गई है:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (₹)
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	27.04.2021	4,16,784
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	21.05.2021	46,150
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	28.06.2021	55,75,342
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	19.07.2021	3,42,741
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	17.08.2021	58,70,071
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	22.09.2021	77,400
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	13.01.2022	1,19,927
ब्याज बॉण्ड श्रृंखला 74	18.01.2022	35,803
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	17.02.2022	1,64,581
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	17.03.2022	4,23,000
जोड़		**1,30,71,799**

टिप्पणी: *उपरोक्त मामले वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित हैं*

प्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के लिए दावों को प्रस्तुत करने के लिए शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, कंपनी समय–समय पर समाचार पत्रों में नोटिस जारी करती रही है। सभी शेयरधारकों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों को तुरंत भुना लें या पुराने वारंटों के स्थान पर पुनर्वधीकरण या डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए को लिखें।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने नवंबर, 2021 में प्रत्येक ₹10/– प्रति वाले 9,896 इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या 1,29,038 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, अप्रैल, 2022 में प्रत्येक ₹10/– प्रति 1,968 इक्विटी शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया।

जिन सदस्यों का उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों या डिबेंचरों के ब्याज और/या मूलधन पर दावा है, वे वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन जमा करके और फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बॉण्ड और आईईपीएफ–5 में सूचीबद्ध अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित भौतिक प्रति "आईईपीएफ प्राधिकरण से धनवापसी के लिए दावा" के रूप में चिह्नित एक लिफाफे में रखकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजते हुए, आईईपीएफ प्राधिकरण से इनका दावा कर सकते हैं।

सभी पहलुओं में पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण और डीमैट खाते में शेयरों के क्रेडिट के माध्यम से धनवापिसी (रिफंड) जारी की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति आईईपीएफ मामलों के संबंध में कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:

पदनाम	नाम
नोडल अधिकारी	**श्री जे. एस. अमिताभ** कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
डिबेंचर / बॉण्ड के लिए उप नोडल अधिकारी	**श्री दलजीत सिंह खत्री** कार्यपालक निदेशक (वित्त)
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	**श्री एम. एल. कुमावत** वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त) एवं विभागाध्यक्ष–सीएस

कंपनी, वार्षिक आम बैठक के 60 दिन के भीतर अपनी बेवसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ में राशि के अंतरण की नियत तारीख जैसी जानकारी के साथ कंपनी के शेयरधारकों / बॉण्डधारकों से संबंधित अदावाकृत / प्रदत्त राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/unpaid-dividend पर अपलोड करेगी। कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का शेयरधारक–वार विवरण भी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.nic.in/iepf-details पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को राशि के हस्तांतरण की देय तिथि जैसी जानकारी वाली कंपनी के शेयरधारकों / बॉण्ड धारकों से संबंधित दावा न की गई / अवैतनिक राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट https://recindia.nic.in/iepf-details पर अपलोड किया है। कंपनी द्वारा आईईपीएफ को पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का निवेशक–वार विवरण आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.nic.in/iepf-details पर भी उपलब्ध है।

iv. इक्विटी शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

विवरण	एनएसई	बीएसई
स्क्रिप कोड	आरईसीएलटीडी	532955
पता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051	बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभॉय टावर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई–400001
दूरभाष	+91-22-2659 8100/8114	+91-22-2272 1233/34
ईमेल	cmlist@nse.co.in	corp.comm@bseindia.com
वेबसाइट	www.nseindia.com	www.bseindia.com

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

vi. पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के संपर्क ब्यौरे

इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए

पता	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032,
फोन	1800-309-4001
ईमेल	einward.ris@kfintech.com, balajireddy.s@kfintech.com, raju.sv@kfintech.com
वेबसाइट	www.kfintech.com

सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए

पता	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032,	**बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड** बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास नई दिल्ली–110062, भारत
फोन	1-800-309-4001	+91-11-29961281-83
ईमेल	einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com	recbonds3@gmail.com, spgupta123@gmail.com
वेबसाइट	https://www.kfintech.com	www.beetalfinancial.com

vii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बाजार मूल्य डाटा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स के संचलन की तुलना में आरईसी के इक्विटी शेयर का मासिक प्रदर्शन निम्नानुसार था :

माह	एनएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			एनएसई निफ्टी का संचलन		
	अधिक	कम	बंद	अधिक	कम	बंद
अप्रैल 2021	135.50	122.15	128.10	15,044.35	14,151.40	14,631.10
मई 2021	148.00	126.10	145.90	15,606.35	14,416.25	15,582.80
जून 2021	167.80	140.50	148.55	15,915.65	15,450.90	15,721.50
जुलाई 2021	154.80	142.75	151.10	15,962.25	15,513.45	15,763.05
अगस्त 2021	160.50	139.25	151.70	17,153.50	15,834.65	17,132.20
सितंबर 2021	166.00	149.60	157.85	17,947.65	17,055.05	17,618.15
अक्टूबर 2021	168.85	146.65	148.65	18,604.45	17,452.90	17,671.65
नवंबर 2021	155.65	126.15	134.55	18,210.15	16,782.40	16,983.20
दिसंबर 2021	138.70	125.15	133.80	17,639.50	16,410.20	17,354.05
जनवरी 2022	141.50	127.85	138.65	18,350.95	16,836.80	17,339.85
फरवरी 2022	143.30	116.60	122.55	17,794.6	16,203.25	16,793.90
मार्च 2022	126.95	119.15	123.05	17,559.8	15,671.45	17,464.75

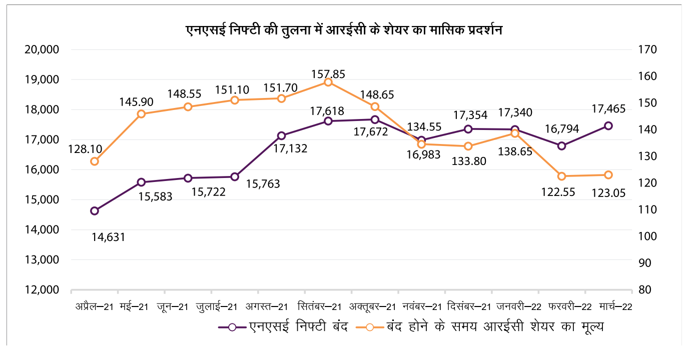

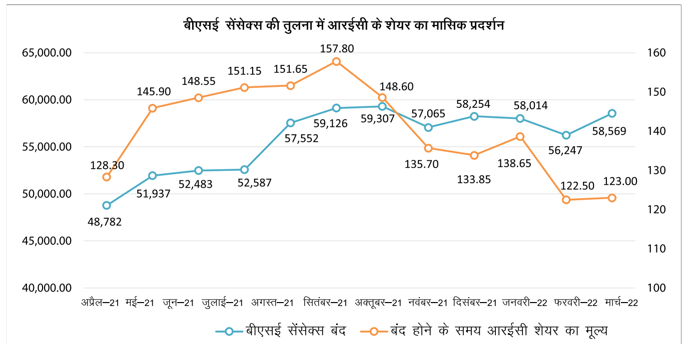

माह	बीएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	अधिक	कम	बंद	अधिक	कम	बंद
अप्रैल 2021	135.55	122.20	128.30	50,375.77	47,204.50	48,782.36
मई 2021	148.00	126.20	145.90	52,013.22	48,028.07	51,937.44
जून 2021	167.75	140.70	148.55	53,126.73	51,450.58	52,482.71
जुलाई 2021	154.85	142.80	151.15	53,290.81	51,802.73	52,586.84
अगस्त 2021	160.45	139.00	151.65	57,625.26	52,804.08	57,552.39
सितंबर 2021	165.90	149.55	157.80	60,412.32	57,263.90	59,126.36
अक्टूबर 2021	168.70	146.80	148.60	62,245.43	58,551.14	59,306.93
नवंबर 2021	155.70	126.30	135.70	61,036.56	56,382.93	57,064.87
दिसंबर 2021	138.70	125.25	133.85	59,203.37	55,132.68	58,253.82
जनवरी 2022	141.50	127.95	138.65	61,475.15	56,409.63	58,014.17
फरवरी 2022	143.00	116.65	122.50	59,618.51	54,383.20	56,247.28
मार्च 2022	126.95	119.20	123.00	58,890.92	52,260.82	58,568.51

viii. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने दिनांक 3 दिसंबर, 2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्धारित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के अंतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी निक्षेपागार में डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, प्रतिभूतियों का संचरण या अंतरण, चाहे भौतिक रूप में हो या अभौतिक रूप में, भी केवल डिमैटरियलाइज्ड रूप में ही किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, डिमैटरियलाइजेशन का लाभ उठाने के लिए सभी शेयरधारकों से अपनी शेयरधारिता को यथाशीघ्र भौतिक रूप से डीमैट रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जाता है।

सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने के अलावा पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना/अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि जिन फोलियो में 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त में से कोई एक या अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और निवेशक शिकायत दर्ज करने या आर एंड टीए से सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे और भौतिक रूप में लाभांश की प्राप्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आर एंड टीए को तुरंत निर्धारित प्रपत्र (जैसा कि नीचे) में पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके फोलियो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद से अवरोधित नहीं हैं:

फार्म	विवरण	डाउनलोड के लिए वेब-लिंक
प्रपत्र आईएसआर–1	पैन, केवाईसी विवरण या उसके परिवर्तन/अद्यतन के पंजीकरण के लिए अनुरोध	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-1.pdf
प्रपत्र आईएसआर–2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि (हस्ताक्षर में उल्लेखनीय बेमेल के मामले में)	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-2.pdf
प्रपत्र आईएसआर–3	भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-ISR-3.pdf
प्रपत्र एसएच–13	नामांकन प्रपत्र	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-no-SH-13.pdf
प्रपत्र एसएच–14	नामांकन रद्द करना या उसमें बदलाव करना	https://recindia.nic.in/uploads/files/Form-No-SH-14.pdf

हस्ताक्षरित दस्तावेजों/विवरणों (तारीख के साथ स्व–सत्यापित) के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म आर एंड टीए को आर एंड टीए द्वारा 'इन पर्सन वेरिफिकेशन' (आईपीवी) के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से या ई–साइन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ई–हस्ताक्षरित दस्तावेजों को आपके पंजीकृत ई–मेल आईडी से einward.ris@kfintech.com पर भेजने की आवश्यकता है, जिसमें एक प्रति complianceofficer@recl.in को चिह्नित की जानी है। इसके अलावा, बॉण्ड के संबंध में विवरण/प्रश्नों के लिए, कृपया https://recindia.nic.in/Forms पर जाएं।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 40(9) और (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाला कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों के सभी अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरे किए गए थे।

शेयरधारिता का पैटर्न/शेयरधारिता का विभाजन

31 मार्च, 2022 के अनुसार स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

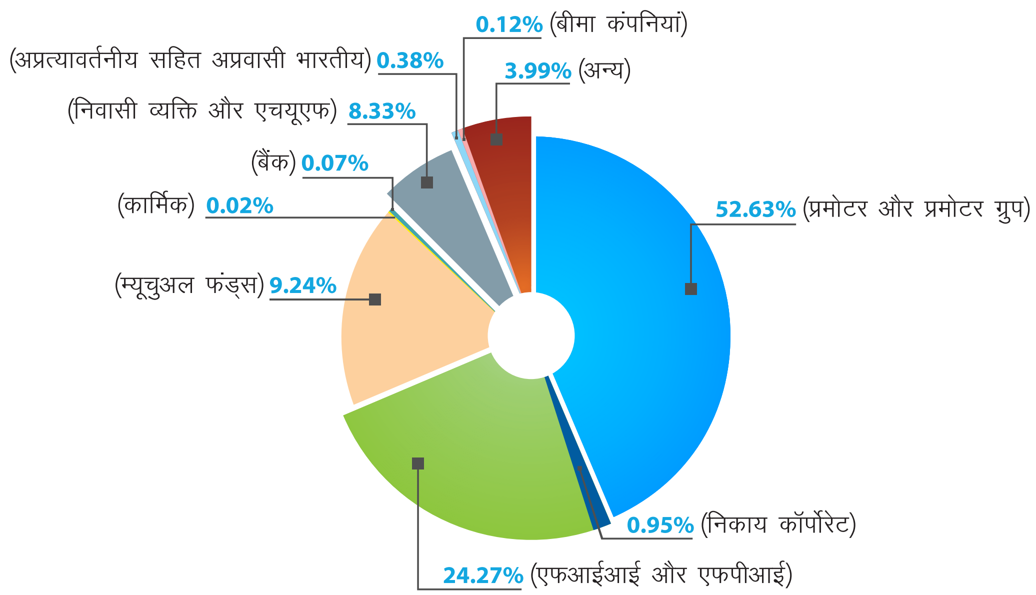

(क) 31 मार्च, 2022 के अनुसार स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

पिछले वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2021 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी का श्रेणी–वार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार था:

विवरण		31 मार्च 2022 के अनुसार		31 मार्च 2021 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप	-	1,03,94,95,247	52.63	1,03,94,95,247	52.63
एफपीआई, एफपीसी और एफआईआई	↓	47,93,18,179	24.27	52,83,00,945	26.75
म्युचुअल फंड्स	↑	18,24,09,568	9.24	17,90,43,306	9.07
निवासी व्यक्ति	↑	15,56,83,646	7.88	11,67,78,937	5.91
बीमा कंपनी	↓	24,53,392	0.12	5,88,95,240	2.98
निकाय कॉर्पोरेट्स	↑	1,87,36,424	0.95	1,13,61,284	0.58
समाशोधन सदस्य	↓	20,02,781	0.10	25,75,891	0.13
बैंक	↓	14,39,838	0.07	45,87,838	0.23
एचयूएफ	↑	87,73,935	0.45	69,41,329	0.35
न्यास	↓	8,93,577	0.05	9,49,715	0.05
अप्रवासी भारतीय	↑	53,46,627	0.27	31,12,828	0.16
भारतीय वित्तीय संस्थान/क्यूआईबी	↑	7,55,52,364	3.83	2,04,85,544	1.04
एनआरआई–अप्रत्यावर्तनीय	↑	22,34,359	0.11	18,01,188	0.09
कर्मचारी	↑	4,44,669	0.02	4,27,797	0.02
अन्य (आईईपीएफ, एआईएफ)	↓	1,29,038	0.01	1,52,567	0.01
एनबीएफसी	↓	4,356	नगण्य	8,344	नगण्य
जोड़		**1,97,49,18,000**	**100%**	**1,97,49,18,000**	**100%**

(ख) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का विभाजन

31 मार्च, 2022 को धारित शेयरों की संख्या के आधार पर शेयरधारिता का विभाजन निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1–5000	4,44,017	98.99	11,13,34,927	5.64
5001–10000	2,504	0.56	1,79,42,497	0.91
10001–20000	978	0.22	1,37,58,436	0.70
20001–30000	271	0.06	67,83,015	0.34
30001–40000	136	0.03	47,35,785	0.24
40001–50000	69	0.01	31,79,259	0.16
50001–100000	188	0.04	1,35,48,617	0.68
100001 और उससे अधिक	392	0.09	1,80,36,35,464	91.33
जोड़	**4,48,555**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

ix. **चलनिधि**

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमैटेरियलाइज्ड खंड के अधीन हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
पता	ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400013	मैराथन फ्यूचरएक्स, ए–विंग, 25वां तल एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013
दूरभाष	+91-22-2499 4200 1-800-222-990	+91-22-2305 8640/24/39/42/63 1-800-22-5533
ईमेल	relations@nsdl.co.in info@nsdl.co.in	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	https://nsdl.co.in/	www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, डीमैटीरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का विवरण निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
शारीरिक	13,402	26,825	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	2,01,746	1,89,71,80,836	96.06%
सीडीएसएल (डीमैट)	2,33,407	7,77,10,339	3.94%
जोड़	**4,48,555**	**1,97,49,18,000**	**100.00%**

x. **शेयरपूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनियम, 2018 के विनियम 76 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, निर्गत और सूचीबद्ध शेयर पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल निर्गत /प्रदत्त शेयर पूंजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। उक्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

xi. **डीमैट सस्पेंस खाते का विवरण**

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों की एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 7,80,60,000 रुपये के प्रत्येक ₹10/– इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इक्विटी शेयरों की एक और समान संख्या की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) की, जिसमें कंपनी द्वारा 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4,29,33,000 इक्विटी शेयर की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान डीमैट सस्पेंस खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार था:

विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	32	4,988
वित्तीय वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें सस्पेंस खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	शून्य	शून्य
दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और सस्पेंस खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32	4,988

टिप्पणियां:

1. *31 मार्च, 2022 को सस्पेंस खाते में बकाया शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के असली स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते।*
2. *उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं, एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों का कोई मामला नहीं है।*

xii. **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xiii. **स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xiv. **निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. **संयंत्रों की अवस्थिति**

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसकी कोई संयंत्र अवस्थिति (अवस्थितियां) नहीं है।

तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvi. **कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095 है।

xvii. **कार्पोरेट वेबसाइट**

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है ।

xviii. **पत्र व्यवहार हेतु पता**

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

पंजीकृत कार्यालय	
पता	कोर–4,स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोन	+91-11-4309 1500/1501
ईमेल	contactus@recl.in
कार्पोरेट कार्यालय	
पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वाटर्स प्लॉट नंबर आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
टेलीफोन	+91-124-271 1000 +91-124-444 1300
ईमेल	contactus@recl.in

xix. **अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता**

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता	
नाम	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
पता	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वाटर्स प्लॉट नंबर आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
टेलीफोन	+91-124-444 1331
ई–मेल	complianceofficer@recl.in jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

[signature]

(विवेक कुमार देवांगन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 20 अगस्त, 2022

अनुबंध-क

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची-V के पैरा -ग के खंड (10) (i) और विनियम 34(3) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणी और आरईसी लिमिटेड जिसका सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची–V के पैरा–ग खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से, हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों [www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, 31 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है

31 मार्च, 2022 तक आरईसी लिमिटेड के निदेशकों का विवरणः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्त होने की तिथि*
1.	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे#	05254178	22 फरवरी, 2022
2.	श्री अजय चौधरी	06629871	1 जून, 2020
3.	श्री विशाल कपूर	08700132	7 सितंबर, 2021
4.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	4 फरवरी, 2022
5.	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	15 नवंबर, 2021
6.	डॉ. मनोज मनोहर पांडे	09388430	15 नवंबर, 2021
7.	श्रीमती दुर्गेश नंदिनी	09398540	30 दिसंबर, 2021

**नियुक्ति की तिथि एमसीए पोर्टल के अनुसार है।*
#आरईसी के निदेशक के रूप में 10 मई, 2022 से समाप्त हो गया।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण–पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः एफ6033
सीपी संख्याः 6370
यूडीआईएनः एफ006033डी000506060

दिनांक : 18 जून, 2022
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ख

प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

13 मई, 2022

यह प्रमाणित किया जाता है किः

क. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

   i. इन विवरणों में ऐसा कोई मिथ्या विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो; और

   ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर–कानूनी हो अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के प्रकार अथवा प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया हैः

   i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

   ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और

   iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह/-
(अजय चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 06629871

ह/-
(रविंद्र सिंह ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00278074